एफ.सं. डब्ल्यू-02/0017/2023-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-I/2024

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 11 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संबंध में 2017 आईडीए वेतनमान के लिए मानक निबंधन एवं शर्तें - आमेलन आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की स्थिति में वेतन वृद्धि की तारीख के संरक्षण – के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संबंध में 2017 आईडीए वेतनमानों के लिए मानक निबंधन एवं शर्तों पर दिनांक 23.07.2018 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0031/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XX/18 के पैरा 1.6 पर ध्यान आकर्षित करने का निदेश दिया जाता है, जिसमें निम्नानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का प्रावधान है: –

"वह उपरोक्त पैरा 1.4 में उल्लिखित वेतनमान में अपनी नियुक्ति की वर्षगांठ की तारीख पर मूल वेतन का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और बाद के वर्षों में उसी तारीख को अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने तक आगे की वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा। अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद, आहरित की गई अंतिम वेतन वृद्धि की दर के बराबर एक ठहराव वृद्धि जिस तारीख से वह अपने वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच जाता है, प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के पूरा होने के बाद दी जाएगी, बशर्ते उसे "अच्छा" या उससे ऊपर की प्रदर्शन रेटिंग मिले। उसे इस तरह की अधिकतम तीन ठहराव वृद्धि दी जाएगी।"

2. इस विभाग को विगत में मंत्रालयों/विभागों से विशेष रूप से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में पदों पर सरकारी अधिकारियों की आमेलन आधार पर नियुक्ति की स्थिति में वेतन वृद्धि की तारीख के संरक्षण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उपर्युक्त खंड के कार्यान्वियन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस प्रकार उठाए गए मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त पैरा 1.6 के नीचे निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए:-

"1.6.1 सरकारी अधिकारी वेतन संरक्षण के साथ आमेलन आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) में शामिल होने की स्थिति में, अधिकारी के पास सरकार के तहत पिछले रोजगार में अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख को जारी रखने का विकल्प भी होगा।'

3. डीपीई के दिनांक 23.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0031/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XX/18 में सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में 2017 आईडीए वेतनमान के लिए अन्य सभी मानक निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के तहत सीपीएसईज़ को उचित निर्देश जारी करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजेश पुरी

(राजेश पुरी)

उप निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

7. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
9. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार।
10. व्यय विभाग, ई-III-ए, शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ईओ प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(राजेश पुरी)
उप निदेशक